छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

वित्त निर्देश 13 /2022

क्रमांक 1593/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/08/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि को एस.एन.ए. खाते में समय सीमा में जमा करने बाबत।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ.क्र.1(33)/PFMS/2022 दिनांक 07.07.2022, वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. 522/75/ PFMS/ब–4/चार, दि. 23.03.2022 एवं 1464/PFMS/ब–4/चार, दि. 13.07.2022

-----000-----

भारत सरकार के संदर्भित कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2022 या उससे पूर्व राज्य के खाते में जारी किये गये राशि को दिनांक 20.07.2022 तक एस.एन.ए. खाते में जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में राशि हस्तांतरित नहीं करने की दशा में ऐसी केन्द्रांश राशि को भारत सरकार की संचित निधि में आर.बी.आई. एडवाइस के द्वारा जमा किया जाना होगा। वित्त निर्देश 06/2012 द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्त करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का है एवं इसके लिये नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा इस प्रावधान से अवगत कराते हुए समय सीमा के पालन हेतु अनुरोध किया गया है।

2/ कतिपय प्रकरणों में केन्द्रांश की राशि समय सीमा में एस.एन.ए. खाते में जमा नहीं की गई है। जिसके कारण केन्द्रांश की राशि भारत सरकार के संचित निधि में वापस की जानी होगी। ऐसी स्थिति में योजना के क्रियान्वयन का अतिरिक्त व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन नही किया जायेगा। अतः ऐसे समस्त प्रकरणों में विलंब हेतु अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा केन्द्रांश की राशि प्राप्त नही होने की दशा में बजट प्रावधान के विरूद्ध कोषालय से कोई भी राशि का आहरण नही किया जावे।

3/ वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के उपरांत भी बजट प्रावधान के विरूद्ध केन्द्रांश व राज्यांश की राशि आहरित की गई है। इस प्रकार वित्त निर्देश 06/2012 का पालन नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः ऐसे प्रकरणों में केन्द्रांश की राशि प्राप्त कर वित्त विभाग को अवगत कराया जाए तथा भविष्य में केन्द्रांश अप्राप्त होने पर बजट प्रावधान से व्यय नहीं किया जाये। यदि अपरिहार्य कारणों से केन्द्रांश व आनुपातिक राज्यांश का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के पूर्व किया जाना आवश्यक हो तो प्रत्येक बार वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जावे।

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1594/ PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. संयुक्त महालेखा नियत्रंक, पी.एफ.एम.एस, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ
17. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** पर अपलोड करने हेतु

2/8/2022

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग